राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2019 अनवान शत्रुन्जयसिंह बनाम तहसीलदार बाली अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तहसीलदार, बाली व भू.अ.निरीक्षक नाना ने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नही होना जाहिर किया गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि आवेदक खातेदार श्री शत्रुन्जयसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपुत द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 288 रकबा 1.07 हैक्टर किस्म बारानी सोयम एवं खसरा नंबर 290 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म बारानी सोयम कुल खसरा–02 कुल रकबा 1.52 हैक्टर के लिये वर्तमान में उपलब्ध पहुँच मार्ग ग्राम कोठार के खसरा नंबर 291/1 रकबा 0.0346 किस्म गै.मु. रास्ता संकडा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (ए) के प्रावधानो अनुसार 30 फीट चौडा किये जाने की मांग गई हैं। आवेदक प्रार्थी की मांग के अनुसार तहसीलदार, बाली व भू0अभिलेख निरीक्षक, नाना ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में अनुशंषा की गई है। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् राजस्थान काश्तकारी(संशोधन) अधिनियम, 2012(2012 का 1) की धारा 251–क में वर्णित प्रावधनो का अवलोकन किया गया। **धारा 251–क के प्रावधानो अनुसार**– अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या **नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना** (i) जहां–(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर एक **नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है**– और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता हैं, तो एक अभिधारी या, यथस्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उप खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान होता है कि–

(i) यह आवश्यकता **आत्यंतिक आवश्यकता** है और यह जोत केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

(ii) अन्य खातेदार की जोत मेंसे होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पक साधन का अभाव सिद्व किया गया हैः–

तो आदेश द्वारा, आवेदन को, अभिधारी, जो उस भूमि को धरित करता है, और उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि मेंसे हाकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये **तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।**

उक्त मूल संशोधित अधिनियम, 2012 में अन्य खातेदार की जोत मेंसे ही रास्ता उपलब्ध कराये जाने एवं विद्यमान रास्ता को 30 फुट तक चौडा करने के प्रावधान होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मेंसे आवेदको को रास्ता उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई होने से राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3 (52) राज–6/ 12/ 4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुये राजकीय सिवायकचक भूमि मेंसे भी रास्ता दिये जाने बाबत् निर्देश जारी किये गये।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं धारा 251(क) में वर्णित प्रावधानो पर मनन के पश्चात् तहसीलदार बाली की जांच अभिशंषा/भू.अ. निरीक्षक नाना की मौका जांच के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा कोठार के ख.न. 288, 290 मे आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के खसरा नंबर 291 रकबा 0.6954 किस्म बारानी सोयम मे से **4.58 X 76 = 348.08** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 15850/– रूपये प्रति बीघा की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
कोठार	291	0.6954	बा.सो.	4.58 X 76 =348.08 वर्गमीटर	9.90 रूपये प्रति व.मी	6892

पेज लगातार. 03

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2019 अनवान शत्रुन्जयसिंह बनाम तहसीलदार बाली
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **6892/- (अक्षरे छः हजार आठ सौ. बराणवे रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड बतौर राजकीय गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

उपरोक्तानुसार पालना की सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत की जावेंगी। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 14-8-2019

पत्रांक : कोर्ट/2019/ 1013-17
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक नाना
3. पटवारी हल्का कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक खातेदार श्री शत्रुन्जयसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत निवासी जयपुर हाल बेडा तहसील बाली

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 24/2019
दायरा तिथि : 27.06.2019
आदेश तिथि : 13-8-2019

प्रार्थी :–
शत्रुन्जयसिंह पुत्र नरपतसिंह राजपूत
निवासी जयपुर हाल बेडा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
भूमिधारी तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 13-8-2019

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 288, 290 कुल रकबा 1.72 हैक्टर मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा कोठार के ख.न. 291 रकबा 0.6954 हैक्टर किस्म बारानी सोयम मे से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जरिये पत्रांकः:राजस्व/2019/1327 दिनांक 29.07.2019 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. आवेदक खातेदार श्री शत्रुन्जयसिंह पुत्र नरपतसिंह जाति राजपूत निवासी जयपुर हाल बेडा तहसील बाली के खातेदारी भूमि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 288 रकबा 1.07 हैक्टर किस्म बा. सो. व खसरा नंबर 288/1 रकबा 0.16 हैक्टर किस्म गे.मु. आबादी खसरा नंबर 290 रकबा 0. 45 हैक्टर किस्म बा.सो. ख.न. 290/1 रकबा 0.04 है. किस्म गे0मु0 आबादी/खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिये खसरा नंबर 291/1 रकबर 0.0346 हैक्टर किस्म गे.मु. रास्ता जिसकी चौडाई 14.924 वर्गफीट उपलब्ध है, जिसको 30 फीट चौडा करवाना जाना है। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि मे आवागमन हेतु वर्तमान मे रेकर्ड अनुसार रास्ता उपलब्ध है।
2. यह है कि रास्ता चौडा करवाने हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर	किस्म	नाम खातेदार	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल
1	291	0.6954	बा.सो.	राजकीय सिवाय चक भूमि काबिल काश्त पुरानी पडत	4.58 X 76 = 348.08 व.मी. (0.0348 है.)

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 15850/– रूपये प्रति बीघा है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई वृक्ष या निर्माण इत्यादि नही है। अन्य कोई क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

तहसीलदार बाली ने अपने जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी की मांग अनुसार उपलब्ध रास्ता को चौडा किये जाने अनुशंषा की गई।

Scanned by CamScanner